

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

2-निदेशक,

30 प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,

विभूति खण्ड, गोमतीनगर,

लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2016

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली-2016 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 के प्राविधानों को 30प्र० में क्रियान्वित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 35/2015/656/45-वि०(अति०ऊ०सो०वि०)/2015 दिनांक 02.07.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को 'डेजिगेनेटिड एजेन्सी' नामित किया गया है अतः 30प्र० राज्य में ऊर्जा के दक्षता पूर्ण उपयोग एवं उसके संरक्षण हेतु श्री राज्यपाल महोदय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 की धारा-16 के साथ पठित धारा-57 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली-2016, को प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- प्रख्यापित नियमावली की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी में) संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकःयथोक्ता।

भवदीय
पार्थ सारथी सेन शर्मा
सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैव

उर्ध्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद
2. मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
4. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, ३०प्र० शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, ३०प्र० शासन।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ३०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली-2016 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि योजना की ५०० प्रतियां मुद्रित कराकर (हिन्दी/अंग्रेजी में) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, ३०प्र० को मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ३०प्र०।
9. उप महानिदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ।
10. राज्य समन्वयक, सी.ई.ओ. को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को अपने विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-७
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

देशराज
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
सं&1562(1)/45-V (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग)/2016

लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 की धारा 21) और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 52 सन् 2001 की धारा 16) के साथ पठित धारा 57 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली 2011 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 422/चैबीस-पी-3-2012 दिनांक 30 मार्च 2012 का अधिक्रमण करके, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य में ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग एवं उसके संरक्षण के संवर्धन के उद्देश्य से निधि के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसे उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली, 2016 कही जायेगी:-

उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली: 2016

- संक्षिप्त नाम 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि नियमावली- 2016 कही और प्रारम्भः- जायेगी।
- (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएँ:- 2-(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; इस नियमावली में;
- (क) “अधिनियम” का तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 52 सन् 2001) से है;
- (ख) “समिति” का तात्पर्य नियम 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति से है;
- (ग) “निधि” का तात्पर्य नियम 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि से है।
- (घ) “सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
- (ङ) “धारा” का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;
- (च) “राज्य अभिहित अभिकरण” का तात्पर्य धारा 15 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ से है।
- (2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निधि का गठन	3	एक निधि गठित की जायेगी जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि के रूप में जाना जायेगा जिसमें धारा 16 के अधीन उल्लिखित धनराशि जमा की जायेगी।
निधि का प्रबन्धन	4	निधि का प्रबन्ध धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
	5	निधि का उपयोग निम्न के लिए किया जाएगा; -
(क)		उत्तर प्रदेश राज्य में ऊर्जा के संवर्धन और दक्ष उपयोग एवं उसके संरक्षण का प्रयोजन;
(ख)		व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, उद्योगों, वाणिज्यिक संगठनों, छात्रों, किसानों आदि के मध्य सूचना प्रसारित करते हुए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों हेतु राज्य अभिहित अभिकरण के माध्यम से व्यय उपगत करना;
(ग)		ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण हेतु कार्मिकों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा उपगत व्यय की पूर्ति किया जाना;
(घ)		ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का संवर्धन;
(ङ)		परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रक्रिया विकसित करने, उपस्करणों एवं उपकरणों के ऊर्जा उपभोग के प्रमाणीकरण या सत्यापन एवं परीक्षण हेतु परीक्षण सुविधाओं का सृजन किया जाना;
(च)		ऊर्जा दक्षता व्यूरो और केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के प्रोत्साहन एवं उनमें योगदान करने के लिये ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता से संबन्धित निर्दर्शन परियोजनाओं को कार्यान्वित करना और विकसित करना;
(छ)		उपकरण युक्तियों एवं प्रणालियों के ऊर्जा दक्षता प्रक्रियाओं के उपयोग को संवर्धित करना;
(ज)		उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और ऊर्जा दक्षता व्यूरो की योजनाओं के लिए समरूप अनुदान की पूर्ति करना;
(झ)		अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा उपगत व्ययों की पूर्ति करना;
()		विशिष्ट रूप से निर्मित ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ के कर्मचारियों पर राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा उपगत किए गये व्ययों की पूर्ति करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadep.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निधि का विनियमन	6	निधि को नियंत्रित और विनियमित करने के उद्देष्य से राज्य स्तरीय संचालन एवं नियंत्रण समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे:
	(एक)	प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अतिरिक्त ऊर्जा स्ट्रोत विभाग - अध्यक्ष
	(दो)	प्रतिनिधि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत - सदस्य
	(तीन)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती - सदस्य
	(चार)	प्रमुख सचिव, उद्योग विकास, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती - सदस्य
	(पांच)	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती - सदस्य
	(छः)	प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती - सदस्य
	(सात)	प्रमुख सचिव, आवास विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती - सदस्य
	(आठ)	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती - सदस्य
समिति की बैठक	(नौ)	निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लखनऊ - सदस्य सचिव
समिति के कृत्य	(दस)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश - सदस्य
	7	समिति की बैठक, प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।
	8	समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे-
	(क)	ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य अभिहित अभिकरण का मार्गदर्शन एवं सहयोग करना;
	(ख)	राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा ऊर्जा संरक्षण निधि से ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु वार्षिक बजट अनुमोदित करना;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	(ग) राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा निधि से किये गये गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करना।
निधि का संचालन	<p>9-(1) धारा 15 के खण्ड (घ) के अधीन अधिसूचित राज्य अभिहित अभिकरण, समिति के मार्गदर्शन में निधि संचालित करेगा;</p> <p>(2) राज्य अभिहित अभिकरण, वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व ऊर्जा संरक्षण निधि से वित पोषित की जाने वाली गतिविधियों के लिये वार्षिक बजट तैयार करेगा और इसे समिति द्वारा अनुमोदित करायेगा;</p> <p>(3) राज्य अभिहित अभिकरण, वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का अनुश्रवण करते हुए समिति द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार निधि का उपयोग करेगा।</p> <p>(4) राज्य अभिहित अभिकरण, निधि के लेखाओं का अनुरक्षण करेगा और समिति को निधि के आय एवं व्यय संबंधी छमाही विवरण प्रस्तुत करेगा;</p> <p>(5) निधि में जमा धनराशि को ऐसे राष्ट्रीकृत बैंक में जैसा कि समिति द्वारा परामर्श दिया जाये, बचत एवं सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा।</p>
निधि का विनिधान	<p>10 (1) राज्य अभिहित अभिकरण, निधि की धनराशि का विनिधान इस रूप में करेगा जिससे कि वह भारत सरकार के राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्थाओं में अपने विनिधान का सर्वोत्तम लाभ अर्जित कर सके;</p> <p>(2) राज्य अभिहित अभिकरण, अपनी वार्षिक आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए निधि के ब्याज का उपयोग कर सकता है।</p>
लेखाओं की संपरीक्षा:	11 निधि के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

आज्ञा से,

पार्थ सारथी सेन शर्मा
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।